



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
राजस्थान, जयपुर

E-mail : pd-mmjrk-rj@nic.in, co_mmjrk.nrh@yaho0.in Tel. No. 0141-5110731

एफ29(43)एनएचएम/एमएमजेआरके/स्टेट शेयर सेंक्शन/17/ 950

दिनांक 07/03/2018

स्वीकृति आदेश


मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रावधित राशि रुपये 2000.00 लाख में से प्राप्त शेष राशि 1000.00 लाख रुपये में से विभिन्न चिकित्सालयों/जिला स्वास्थ्य समितियों को निम्नानुसार राशि आवंटित किये जाने की एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय/जिला स्वास्थ्य समिति	स्वीकृत राशि (लाखों में)			
		बजट मद 789 (एससी)	बजट मद 796 (एसटी)	बजट मद 800 (अन्य)	कुल
1.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	40.00	30.00	130.00	200.00
2.	जे0के0 लोन चिकित्सालय, जयपुर	10.00	10.00	50.00	70.00
3.	गणगौरी हॉस्पिटल, जयपुर	02.50	03.00	04.50	10.00
4.	महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा	10.00	05.00	25.00	40.00
5.	न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोटा	20.00	15.00	65.00	100.00
6.	मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर	10.00	05.00	25.00	40.00
7.	पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर	20.00	15.00	65.00	100.00
8.	जिला स्वास्थ्य समिति, अजमेर	03.00	03.00	04.00	10.00
9.	जिला स्वास्थ्य समिति, अलवर	03.00	03.00	04.00	10.00
10.	जिला स्वास्थ्य समिति, बांसवाड़ा	03.00	03.00	04.00	10.00
11.	जिला स्वास्थ्य समिति, बारां	03.00	03.00	04.00	10.00
12.	जिला स्वास्थ्य समिति, बाडमेर	03.00	03.00	04.00	10.00
13.	जिला स्वास्थ्य समिति, भरतपुर	03.00	03.00	04.00	10.00
14.	जिला स्वास्थ्य समिति, भीलवाड़ा	03.00	03.00	04.00	10.00
15.	जिला स्वास्थ्य समिति, बीकानेर	03.00	03.00	04.00	10.00
16.	जिला स्वास्थ्य समिति, बून्दी	03.00	03.00	04.00	10.00
17.	जिला स्वास्थ्य समिति, चित्तौड़गढ़	01.00	01.00	03.00	05.00
18.	जिला स्वास्थ्य समिति, चुरु	03.00	03.00	04.00	10.00
19.	जिला स्वास्थ्य समिति, दोसा	03.00	03.00	04.00	10.00
20.	जिला स्वास्थ्य समिति, धौलपुर	03.00	03.00	04.00	10.00
21.	जिला स्वास्थ्य समिति, डूंगरपुर	03.00	03.00	04.00	10.00
22.	जिला स्वास्थ्य समिति, गंगानगर	03.00	03.00	04.00	10.00
23.	जिला स्वास्थ्य समिति, हनुमानगढ़	03.00	03.00	04.00	10.00
24.	जिला स्वास्थ्य समिति, जयपुर प्रथम	03.00	03.00	04.00	10.00
25.	जिला स्वास्थ्य समिति, जयपुर द्वितीय	02.00	01.00	04.00	07.00

क्र. सं.	मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय/जिला स्वास्थ्य समिति	स्वीकृत राशि (लाखों में)			
		बजट मद 789 (एससी)	बजट मद 796 (एसटी)	बजट मद 800 (अन्य)	कुल
26.	जिला स्वास्थ्य समिति, जैसलमेर	03.00	03.00	04.00	10.00
27.	जिला स्वास्थ्य समिति, जालौर	03.00	03.00	04.00	10.00
28.	जिला स्वास्थ्य समिति, झालावाड़	03.00	03.00	04.00	10.00
29.	जिला स्वास्थ्य समिति, झुन्झुनू	03.00	03.00	04.00	10.00
30.	जिला स्वास्थ्य समिति, जोधपुर	03.00	03.00	04.00	10.00
31.	जिला स्वास्थ्य समिति, करौली	03.00	03.00	04.00	10.00
32.	जिला स्वास्थ्य समिति, कोटा	03.00	03.00	04.00	10.00
33.	जिला स्वास्थ्य समिति, नागौर	03.00	03.00	04.00	10.00
34.	जिला स्वास्थ्य समिति, पाली	03.00	03.00	04.00	10.00
35.	जिला स्वास्थ्य समिति, प्रतापगढ़	03.00	03.00	04.00	10.00
36.	जिला स्वास्थ्य समिति, राजसमन्द	03.00	03.00	04.00	10.00
37.	जिला स्वास्थ्य समिति, सीकर	03.00	03.00	04.00	10.00
38.	जिला स्वास्थ्य समिति, सिरोही	03.00	03.00	04.00	10.00
39.	जिला स्वास्थ्य समिति, सवाई माधोपुर	03.00	03.00	04.00	10.00
40.	जिला स्वास्थ्य समिति, टोंक	03.00	03.00	04.00	10.00
41.	जिला स्वास्थ्य समिति, उदयपुर	03.00	03.00	04.00	10.00
कुल		211.50	181.00	499.50	892.00

समस्त संबंधित अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त आवंटित राशि में से प्रथमतः एमएमजेआरके योजना के तहत उनके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेशों की पालना में कार्यरत संविदाकर्मियों के बकाया मानदेय का भुगतान करेंगे। संविदाकर्मियों के बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने के पश्चात् ही शेष रही राशि में से एमएमजेआरके योजना के अन्य बकाया दायित्वों का भुगतान करेंगे।


संविदाकर्मियों के बकाया मानदेय के भुगतान के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आदेश क्रमांक 444, दिनांक 26.07.2017 के द्वारा संविदाकर्मियों को सेवामुक्त किया जाने से पूर्व के बकाया मानदेय का भुगतान एवं सेवा समाप्ति के पश्चात् संविदाकर्मियों द्वारा पुनः कार्य ग्रहण करने की तिथि से बकाया मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित कर दिनांक 15.03.2018 तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से अवगत करावेंगे। दिनांक 31.03.2018 को योजना समाप्त होने के कारण योजना में कार्यरत संविदाकर्मियों स्वतः ही कार्यमुक्त माने जावेंगे।


 शासन सचिव,
 चिकित्सा, स्वास्थ्य, प0क0 एवं मिशन
 निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय जयपुर।

2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव (बजट) वित्त विभाग सचिवालय जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, समस्त।
9. निजी सचिव, सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. प्रधानाचार्य, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय।
12. अधीक्षक, संबंधित मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालयों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.03.2018 तक उक्त आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाते हुये शेष बकाया दायित्वों की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. निदेशक, परिवार कल्याण/जनस्वास्थ्य/एड्स स्वास्थ्य भवन जयपुर।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
15. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
16. समस्त संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
17. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.03.2018 तक उक्त आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाते हुये शेष बकाया दायित्वों की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
18. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
19. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि एमएमजेआरके योजना से संबंधित समस्त बकाया दायित्वों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
20. इन्चार्ज सर्वर रूम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया संबंधित को ई-मेल करवाने की कार्यवाही की जावे।
21. रक्षित पत्रावली।


 परियोजना निदेशक
 मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष